

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1027/वि0स0/संसदीय/2(सं)/2019

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 18 नवम्बर, 2019

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 980/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017, दिनांक 07 नवम्बर, 2019 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के उपवेशन का प्रस्तावित कार्यक्रम, जैसा कि वह माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

उक्त प्रसंग में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि उक्त कार्यक्रम के संलग्नक-दो में विगत सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1027(1)/वि0स0/संसदीय/2(सं)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 4-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 5-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,

- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 9-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 10-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 11-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 12-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
- 13-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 16-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 21-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 22-ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ,
- 23-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 24-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 25-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 26-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 27-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 28-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 29-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 30-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार,
संयुक्त सचिव।

(संलग्नक-एक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के चतुर्थ सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम, जैसा कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ

नवम्बर, 2019

26 मंगलवार

1-11:00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष माननीया राज्यपाल का अभिभाषण।

2- संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान की उद्देशिका में अन्तर्निहित तत्त्वों एवं संवैधानिक मूल कर्तव्यों तथा संविधान के महान वास्तुकार डॉ0 बी0 आर0 आम्बेडकर के सिद्धान्तों पर विधान सभा में चर्चा।

अध्यादेश की सूची

1-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019।
